



पत्रांक:वाई.ई.ए./ सम्पत्ति / 10694 / 2020  
दिनांक : 22/12/2020

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या-17 में यमुना औद्योगिक प्राधिकरण की समस्त प्रकार की आवासीय/बिल्ट अप योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित परिसम्पत्तियों में रक्त सम्बन्धी में पौत्र-पौत्री को भी सम्मिलित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(मोनिका रानी)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर.) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस.वी./एम/एन.जी.) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ।
4. सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)/प्रबन्धक (सम्पत्ति) अनुपालनार्थ।
5. विधि अधिकारी के सूचनार्थ।
6. प्रबन्धक सिस्टम को बेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. प्रबन्धक मार्केटिंग को उक्त कार्यालय ज्ञाप को एक अग्रेजी एवं एक हिन्दी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु।
8. गार्ड फाईल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी